

## मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2024 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (Advisory)

1. द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधन 2024 बिन्दु क्रमांक-8 में उल्लेखित नियम 11 उप नियम (2) अनुसार सभी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं समय तक Edit Option उपलब्ध रहेगा। अंतिम locked choice को ही मान्य किया जायेगा।
2. द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित “भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद” संशोधन अधिसूचना एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 (संशोधन 19 जून 2019) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए ₹0 10 (दस) हजार एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा ₹0 5 (पांच) हजार की राशि द्वितीय चरण की च्वाईस फिलिंग से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क ₹0 1 (एक) लाख जमा करने होंगे। निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को ₹0 1(एक) लाख एवं एन.आर.आई अभ्यर्थीयों हेतु ₹0 10 (दस) लाख जमा करने होंगे।

द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग किये जाने से पूर्व जमा किये जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में समायोजित होगा।

द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति श्रेणी ( ST category) के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिये च्वाईस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी किन्तु च्वाईस लॉकिंग के समय पोर्टल शुल्क ₹0 100/- ऑनलाईन जमा करना होगा।

3. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी (Non Domicile) हैं, आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेंगे।
4. द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जायेगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (Non Domicile) को आवंटन मेरिट के अनुसार दिया जायेगा।

5. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्षन दिया है पर द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा एवं अभ्यर्थी को Satisfied माना जायेगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परन्तु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये है ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेगें तथा उन्हें किसी तरह की कार्यवाही नहीं करनी होगी।
7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) का कम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का विकल्प अच्छी तरह सोच विचार कर भरें एवं उन महाविद्यालयों का विकल्प (च्वाईस) न भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हों।
8. द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय (College), पाठ्यक्रम (Course) अथवा श्रेणी (Category) में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में (द्वितीय चरण) में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रेणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
9. सभी आवंटित अभ्यर्थियों (नवीन आवंटित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड हुये हैं) को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेरक पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करानी होगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी (Fresh Allotment), को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची संचालनालय की वेबसाईट एवं एम०पी० ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र-१ में उल्लेखित हैं।

काउंसिलिंग के प्रथम चक में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरान्त प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक के लिए जमा किये गये अग्रिम शुल्क को घटाकर) जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी को लौटाई जायेगी।

10. Upgraded अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति योजना के विकल्प किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

11. पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क (शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के शुल्क का समायोजन किया जायेगा) ऑनलाईन जमा करना होगा जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस० द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके खातें में इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) राशि की सीमा बढ़ा लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की प्रवेश अवधि कम होने के कारण शीघ्रातिशीघ्र आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।
12. द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये हैं मॉप अप चरण के लिये अपग्रेड का विकल्प केंडिंडेट लॉगिन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन लिंक के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
13. शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जारी की जायेगी।
14. शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जायेगी।

*Alvi 13.9.24*  
संचालक विकित्सा शिक्षा  
*DPL* मध्य प्रदेश  
*13/9/2023*